बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या–14/डी0एल0ए0–एल0ए0एक्ट–नीति(S.I.A.)–खंड–क–11/2014–43/रा0, पटना–15, दिनांक–12/01/2026

भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अध्याय–II के अंतर्गत धारा–4 के प्रावधानों के तहत किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन कार्य के लिए विभागीय संकल्प सं0–647/रा0, दिनांक–09.05.2014 एवं संकल्प सं0–1082/रा0, दिनांक–28.09.2018 से SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु क्रमशः एल0 एन0 मिश्रा, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना, ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना, आद्री, पटना एवं विकास प्रबंधन संस्थान, पटना को अधिकृत किया गया है।

2– इस क्रम में विभागीय संकल्प सं0–537/रा0, दिनांक–18.05.18 में निहित शक्ति के आलोक में SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु बिहार राज्यपाल द्वारा लोकहित में मगध प्रमंडल अंतर्गत जिलों में किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु "बिपार्ड, गया" को प्राधिकृत किया जाता है। इस हेतु पूर्व से निर्गत विभागीय ज्ञापांक–1167/रा0, दिनांक–15.07.2025 से SIA कार्य हेतु निर्धारित SIA Agency Selection Roaster को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3– यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/01/2026

(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।

संख्या–14/डी0एल0ए0–एल0ए0एक्ट–नीति(S.I.A.)–खंड–क–11/2014–43/रा0, पटना–15, दिनांक–12/01/2026

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करने की कृपा की जाय।

12/01/2026

(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।

संख्या–14/डी0एल0ए0–एल0ए0एक्ट–नीति(S.I.A.)–खंड–क–11/2014–43/रा0, पटना–15, दिनांक–12/01/2026

प्रतिलिपिः–

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति अपने स्तर से अपने परिक्षेत्रान्तर्गत चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

4. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.2026

(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।

संख्या–14/डी0एल0ए0–एल0ए0एक्ट–नीति(S.I.A.)–खंड–क–11/2014–43/रा0, पटना–15, दिनांक–12/01/2026

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, "विकास प्रबंधन संस्थान, उद्योग भवन, द्वितीय तल, पूर्वी गांधी मैदान, पटना–800004 (DMI,Patna)"/अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/निदेशक, ललित नारायण मिश्रा, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/निदेशक, आद्री, पटना एवं महानिदेशक, बिपार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संकल्प की प्रति विभागीय बेवसाइट पर Up-load करने हेतु प्रेषित।

12.01.2026

(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–10.07.2025 (गुरूवार) को अप0 04:30 बजे से अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) कार्य हेतु अधिसूचित सभी SIA Unit के साथ (विचार–विमर्श) हुई बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति–पंजी के अनुसार।
2. अपर मुख्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।
3. भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत संचालित लोकहित की विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं के लिए की जाने वाली भूमि अर्जन की कार्रवाई में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) के कार्यों पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित S.I.A. Unit यथा:– एल0एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (LNMI), पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (CIMP), पटना, आद्री (ADRI), पटना एवं विकास प्रबंधन संस्थान (DMI), पटना के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ S.I.A. के कार्यों को सुगमतापुर्वक तीव्रगति से करने के साथ–साथ उक्त कार्य हेतु दर का निर्धारण किये जाने के बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया। ए0एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान (ANSISS), पटना, के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे।
4. S.I.A. संस्थानों के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में सामाजिक प्रभाव आकलन के कार्य में मानक प्रक्रिया अपनाने, S.I.A. कार्य हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के रकवा के आधार पर दर का निर्धारण किये जाने एवं सभी S.I.A. संस्थानों को जिला आवंटित किये जाने के बिन्दु पर सहमति दी गयी, ताकि परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके।
5. सम्यक विचारोपरांत S.I.A. कार्य हेतु फीस की राशि का निर्धारण निम्नवत् किया गया:–

क्र0सं0	रकवा वर्ग अंतराल (एकड़ में)	कार्य हेतु विनिश्चित की गयी राशि	अभ्युक्ति
01.	0.01 से – 1.00 तक	1,00,000.00+G.S.T	इसके अतिरिक्त 01.01.2026 के प्रभाव से प्रति वर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमति दी गयी।
02.	1.00 से अधिक – 5.00 तक	2,00,000.00+G.S.T	
03.	5.00 से अधिक –10.00 तक	3,00,000.00+G.S.T	
04.	10.00 से अधिक –25.00 तक	5,00,000.00+G.S.T	
05.	25.00 से अधिक – 50.00 तक	7,50,000.00+G.S.T	
06.	50.00 से अधिक –100.00 तक	15,00,000.00+G.S.T	
07.	100.00 से अधिक –250.00 तक	25,00,000.00+G.S.T	
08.	250.00 से अधिक –500.00 तक	40,00,000.00+G.S.T	
09.	500.00 से अधिक	50,00,000.00+G.S.T	

6. उक्त के साथ–साथ किसी परियोजना विशेष के S.I.A. कार्य हेतु पटना को केन्द्र मानते हुए 100 किमी0 से अधिक की दूरी के लिए मो0–25,000/–रूपये एवं 200 किमी0 से अधिक की दूरी के लिए मो0– 50,000/– रूपये का एकमुस्त अतिरिक्त भुगतान किये जाने पर भी सहमति दी गयी।
7. S.I.A. कार्य का ड्राफ्ट प्रतिवेदन 15–45 दिनों में उपलब्ध कराने तथा अंतिम प्रतिवेदन 60–90 दिनों में उपलब्ध कराये जाने पर S.I.A. संस्थानों द्वारा सहमति दी गयी। साथ ही, अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कार्य जनसुनवाई के पश्चात् अधिकतम 30 दिनों के अंदर पूर्ण किये जाने पर भी सहमति दी गयी।

परियोजना का एस0आइ0ए0 का कार्यादेश प्रथम संस्थान को एवं दूसरी परियोजना का एस0आइ0ए0 का कार्य दूसरे संस्थान को, इसी चक्रानुक्रम में S.I.A. संस्थानों को जिले का आवंटन/निर्धारण निम्नवत् किया गया:–

SIA Agency Selection Roaster			
SI No	**District Name**	**Agency Selection for First Project Priority Agency**	**Agency Selection for Second Project Priority Agency**
1	Araria	ADRI	LNMI
2	Arwal	ANSISS	CIMP
3	Aurangabad	CIMP	DMI
4	Banka	DMI	CIMP
5	Begusarai	LNMI	ADRI
6	Bhagalpur	ADRI	LNMI
7	Bhojpur	ANSISS	CIMP
8	Buxar	CIMP	DMI
9	Darbhanga	DMI	CIMP
10	EastChamparan	LNMI	ADRI
11	Gaya	ADRI	LNMI
12	Gopalganj	ANSISS	CIMP
13	Jamui	CIMP	DMI
14	Jehanabad	DMI	CIMP
15	Kaimur	LNMI	ADRI
16	Katihar	ADRI	LNMI
17	Khagaria	ANSISS	CIMP
18	Kishanganj	CIMP	DMI
19	Lakhisarai	DMI	CIMP
20	Madhepura	LNMI	ADRI
21	Madhubani	ADRI	LNMI
22	Munger	ANSISS	LNMI
23	Muzaffarpur	CIMP	DMI
24	Nalanda	DMI	CIMP
25	Nawada	LNMI	ADRI
26	Patna	ADRI	LNMI
27	Purnea	ANSISS	LNMI
28	Rohtas	CIMP	DMI
29	Saharsa	DMI	CIMP
30	Samastipur	LNMI	ADRI
31	Saran	ADRI	LNMI
32	Sheikhpura	ANSISS	LNMI
33	Sheohar	CIMP	DMI
34	Sitamarhi	DMI	CIMP
35	Siwan	LNMI	ADRI
36	Supaul	ADRI	LNMI
37	Vaishali	ANSISS	LNMI
38	WestChamparan	CIMP	DMI

9. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी जिलो को इस सूची एवं दर से अवगत करा दिया जाय एवं संबंधित जिलाधिकारी सीधे उस जिले को आवंटित एजेंसी को कार्यादेश देंगे।

10. बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/– (अभिषेक प्रसाद) आद्री	ह0/– (राणा सिंह) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान	ह0/– (गौरव मिश्रा) विकास प्रबंधन संस्थान
ह0/– (प्रीति सिंह) एल0एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	ह0/– (सुशील कुमार), भू–अर्जन विशेषज्ञ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	ह0/– (आजीव वत्सराज), सहायक निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
ह0/– (कमलेश कुमार सिंह), निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	ह0/– (गोपाल मीणा), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	ह0/– (दीपक कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–14/डी.एल.ए.–एल.ए.एक्ट–नीति(एस.आई.ए.)खंड–"क"–11/2014–1167/रा., पटना, दिनांक–15/7/25

1– प्रतिलिपि:–सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि:–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी समाहर्त्ता, सभी अपर समाहर्त्ता एवं सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3– प्रतिलिपि:–निदेशक, ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, उद्योग भवन, पटना/निदेशक, आद्री एवं निदेशक, एल0एन0 मिश्र, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4–प्रतिलिपि:–अधिशाषी अभियंता, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025 को (E-Mail:-ssbengineeringpatna@gmail.com)/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (EMail:-gm@ecr.railnet.gov.in)/महाप्रबंधक, उत्तर–सीमांत रेलवे, गुवाहाटी (E-Mail:-ceconnfr3@gmail.com) एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5– प्रतिलिपि:–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6– प्रतिलिपि:–आई.टी. मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने एवं वेबसाइट पर यथा स्थान सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित।

15/7/25

(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।